(54)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची ।

पत्रांकः– 287 / 09 ई0डी0 188 दिनांकः– 13.3.2010

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रॉची ।

विषय– मे0 जिंदल स्टील एवं पावर लि0 के सारण्डा वन प्रमंडल के घाटकुड़ी आरक्षित वनभूमि में जेरेलदाबुरू लौह अयस्क खनन परियोजना हेतु 512.56 हे0 वन भूमि के अपयोजन की प्रस्ताव ।

प्रसंग– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक 290 दिनांक19.02.2010.

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर से सर्वश्री जिंदल स्टील एण्ड पावर प्लांट के पक्ष में कुल 512.60 हे0 वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नवतः है :–

1. राज्य सरकार के साथ सर्वश्री जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0 ने दिनांक 05.07.2005 एवं 08.11.2007 को दो MOU निष्पादान किया है । इन MOU में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आसनबनी एवं पतरातू में क्रमशः 5MT/Y एवं 6MT/Y मिलियिन टन स्टील के उत्पादन के लिये प्लांट लगाने की बात कही गई है । राज्य सरकार के साथ किये गये MOU को प्रस्ताव के अनु0 IVA एवं IVB के रूप में संलग्न किया गया है ।

आसनबनी स्टील प्लांट के लिये किये गये MOU की कंडिका 2.4 एवं पतरातू स्टील प्लांट के लिये किये गये MOU की कंडिका 4.4 में राज्य सरकार ने सर्वश्री जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0 को आश्वस्त किया है कि सरकार इन स्टील प्लांटों के लिये कच्चा माल श्रोत को उपलब्ध कराने की दिशा में हर संभव प्रयास करेगी ।

आसनबनी स्टील प्लांट के लिये 333 मिलियन टन तथा पतरातू स्टील प्लांट के लिये 325 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता MOU में चिन्हित की गई है ।

2. खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 5 / 93 / 2007 – M.IV दिनांक 24.08.2007 द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे सर्वश्री जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0 के पक्ष में 30 वर्षो के लिये लीज संपादित कर दें, वशर्ते वे कुछ शर्तो का अनुपालन कर लेते हैं ।

खान मंत्रालय, भारत का पत्र दिनांक 24.08.2007 प्रस्ताव के अनु0– IIA पर दृष्टव्य है ।

3. खनन एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 170 / एम.सी. दिनांक 06.09.2007 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को निदेश दिया गया है कि लीज से संबंधित 537 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत पूर्वानुमति प्राप्त करें । इसी पत्र के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव दिया गया है ।

खनन एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 170 / एम सी दिनांक 06.09.2007 की छायाप्रति प्रस्ताव के अनु0 – II B के रूप में संलग्न है ।

4. सर्वश्री जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0 द्वारा खनन परियोजना में कुल 540.506 हे0 भूमि का उपयोग प्रस्तावित है । प्रस्तावित 540.506 हे0 में 1.376 हे0 भूमि गैर वन भूमि की श्रेणी में आती है। शेष 539.13 हे0 भूमि वन भूमि है ।

5. 539.13 हे0 वन भूमि में 537 हे0 भूमि लीज क्षेत्र में स्थित है । शेष 2.13 हे0 वन भूमि लीज क्षेत्र में बाहर है और इस भूमि का उपयोग कन्वेयर बेल्ट की स्थापना के लिये प्रस्तावित है ।

6. लीज क्षेत्र में स्थित 537.00 हे0 वन भूमि में लीज की उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा में 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी का उपयोग Safety Zone के रूप में किया जाना है । लीज की पूर्वी सीमा गुआ – मनोहरपुर राज्य पथ के समानान्तर है । खनन के लिये निर्गत दिशा निदेश के लिये, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विमर्श के दौरान बताया गया है कि सड़क से 45 मीटर की दूरी पर कोई खनन नहीं किया जायेगा । इस कारण लीज क्षेत्र के अन्दर 26.57 हे0 वन भूमि में खनन कार्य नहीं किया जाना है और इस क्षेत्र को Safety Zone में रखा जायेगा । अतः लीज क्षेत्र के भीतर 510.43 हे0 वन भूमि का उपयोग खनन हेतु तथा लीज क्षेत्र के बाहर 2.13 हे0 वन भूमि का उपयोग कन्वेयर बेल्ट की स्थापना हेतु प्रस्तावित है । इस प्रकार इस परियोजना के लिये कुल 512.56 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है ।

7. खनन कार्य हेतु प्रस्तावित 510.43 हे0 वन भूमि का अधिकांश भाग घाटकुड़ी कम्पार्टमेन्ट एवं शेष भाग कसियापोचा सुरक्षित वन में स्थित है । लीज क्षेत्र के बाहर 2.13 हे. वन भूमि का अंश भाग घाटकुड़ी कम्पार्टमेन्ट तथा नुइया पी.एफ. में स्थित है ।

घाटकुड़ी कम्पार्टमेन्ट की वैधानिक स्थिति रक्षित वन (Reserve Forest) है । प्रस्तावित खनन घाटकुड़ी कम्पार्टमेन्ट संख्या G-13 (अंश) G-14 (अंश) G-15 (अंश) तथा G-17 (अंश) में स्थित है । प्रस्ताव के अनुसार कुल 512.56 हे0 वन भूमि में रक्षित वन (Reserve Forest) का रकबा 356.62 हे0 तथा शेष 155.94 हे0 वन भूमि सुरक्षित वन (Protected Forest) की श्रेणी का है। इस क्षेत्र में खनन हेतु 894.4 लाख टन अयस्क की उपलब्धता आंकी गई है ।

8. प्रस्तावित खनन क्षेत्र पूर्व में सर्वश्री खटाऊ लीलाधर ठक्कर समूह (KLT Group) द्वारा 1976 तक खनन किया गया था । 1976 के बाद इस क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं किया गया है । वन संरक्षक, दक्षिणी अंचल, चाईबासा ने प्रस्ताव के पार्ट III में अभियुक्ति दर्ज की है कि इस क्षेत्र में 1976 के पूर्व खनन के कार्य से संबंधित कुछ पुराने बेंचों (Benches) को पाया गया है ।

अपयोजन प्रस्ताव से संबंधित निम्न अभिलेख आपकी सेवा में भेजा जा रहा है :–

(i) 1:50,000 पैमाने के सर्वे टोपोशीअ संख्या – 73F/7 पर स्थल को चिन्हित करते करते मानचित्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है । 1:5000 पैमाने पर परियोजना का प्लान भी प्रस्ताव के प्लेट संख्या V के रूप में संलग्न है ।

(ii) प्रस्तावित क्षेत्र पर वनों का घनतव 0.5 से 0.7 के बीच आंका गया है ।

लीज क्षेत्र के मानचित्र पर भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) के 2005 वन घनत्व मानचित्र को Superimpose करते हुये एक मानचित्र तैयार किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है । इस मानचित्र से स्पष्ट है कि प्रस्तावित क्षेत्र पर स्थित अधिकांश भूमि अत्यन्त सघन वन (Very Dense Forest) एवं सघन वन (Dense Forest) की श्रेणी के हैं ।

प्रस्तावित क्षेत्र पर वृक्षों की गणना 1–1 हे0 के 51 Sample Plot के अनुसार की गई है । इन सभी Sample plots (कुल रकबा – 51हे0) पर विभिन्न गोलाई वर्ग के वृक्षों की संख्या का सारांश निम्नवतः है :–

गोलाई वर्ग (से.मी.)	30–60	61–90	91–120	121–150	151–180	181–210	210 एवं उपर	कुल
वृक्षों की संख्या	3423	2799	1400	656	300	70	18	8666

सैंपल प्लौटों में 107 वृक्ष प्रजातियां शामिल है। सैंपल प्लौट के आधार पर प्रति हे0 वृक्षों की संख्या 169.92 होती है और वन भूमि में अपयोजन होने की स्थिति में कुल 87094 वृक्षों का पातन संभावित है । वन प्रमंडल पदाधिकारी ने प्रपत्र II में सूचित किया है कि 30 से.मी. से कम गोलाई के पौधों प्रचूर संख्या में हैं, जिनकी गिनती नहीं की गई है । गणना सूचि प्रस्ताव के अनु0– XV पर दृष्टव्य हैं ।

(iii) प्रस्तावित क्षेत्र पहाड़ी हैं एवं इसकी ढलान सामान्य से कड़ी है । खनन होने की स्थिति इस क्षेत्र से मिट्टी का बहाव अत्यधिक होगा । इस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा series of check dam, garland drain, slope management आदि कार्यो को प्रस्तावित किया गया है ।

(iv) **प्रयोजनवार भूमि का उपयोग निम्नवतः प्रस्तावित है :–**

क्र. सं.	प्रस्तावित वन भूमि का कार्य ब्यौरा	लीज क्षेत्र के वन भूमि (हे0 में)	लीज क्षेत्र के बाहर वन भूमि (हे0 में)	गैर वन भूमि (हे0 में)	कुल भूमि (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	Mining Area (Excavation)	323.18	-	-	323.18
2	ROM Stack for uncrushed Ore	3.04	-	-	3.04
3	Low grade Mineral stacking for future use / blending	15.78	-	-	15.78
4	Top soil stacking yard	2.00	-	-	2.00
5	Dumping of OB / waste	36.15	-	-	36.15
6	Water reservoir for rain water harvesting	2.20	-	-	2.20
7	Settling tank and silt check dam	1.80	-	-	1.80
8	Rest shelter & first aid station	2.10	-	-	2.10
9	Ore fines stack with 3 retaining walls and garland drains	30.10	-	-	30.10
10	Crushed ore stack	1.00	-	-	1.00
11	Roads	15.10	-	-	15.10
12	Admin. Office, canteen, STP, security, workshop garage for HEMM, HSD store, oil trap, substation, weighbridge & first aid room	2.84	-	-	2.84
13	laboratory, power house & site office	1.72	-	-	1.72
14	Exploration equipment shed	0.61	-	-	0.61
15	Magazine with safety zone	5.00	-	-	5.00
16	Mobile & fixed crushing & screening plant, stores, repair shop etc	13.04	-	-	13.04
17	Conveyor corridor	0.30	2.13	1.376	3.806
18	Land for future use in mining	54.47	-	-	54.47
	Total	**510.43**	**2.13**	**1.376**	**513.936**
19	Safety zone maintained as Green belt	26.57	-	-	26.57
	Gross Total	**537.00**	**2.13**	**1.376**	**540.506**

(v) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्ताव के अनु0– VIIC के रूप में संलग्न है । माईनिंग प्लान के अनुसार इस खनन परियोजना की अवधि 17 वर्षो तक की है । **माईनिंग प्लान के अनुसार खनन पश्चात 422.38 हे0 क्षेत्र पर वृक्षारोपण कर पुर्नवास किया जायेगा।**

(vi) प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान /आश्रयणी का भाग नहीं है, लेकिन यह गज आरक्ष (Elephant Reserve) के Core क्षेत्र में स्थित है। प्रपत्र II में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि इस क्षेत्र में Elephant, Giant Squirrel, Reptites, Sloth bear एवं Barking deer पाये जाते हैं ।

इस परियोजना के लिये श्रेणी पी0 के0 सेन द्वारा वन्य प्राणी प्रबंधन योजना सूत्रित की गई है। सूत्रित योजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड रॉची के कार्यालय पत्रांक 153 विविध – वर्ष 2008–09 /557 दिनांक 06.08. 2009 द्वारा दिया गया मंतव्य इस कार्यालय को प्राप्त है । मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक का मंतव्य है कि खनन के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों का समग्र विश्लेषण करते हुये एक समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना का सूत्रण उचित होगा । मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक के पत्र दिनांक 06.08.2009 की छायाप्रति संलग्न की जाती है ।

(vii) प्रस्तावित क्षेत्र पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत किसी प्रकार का दावा नहीं होने की सूचना ग्राम सभा द्वारा दी गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है । (अनु0– XI)

(viii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 339.93 हे0 गैर वन भूमि की पहचान की जा चुकी है । विस्तृत विवरणी प्रस्ताव के अनु0– XIV पर उपलब्ध है । शेष 172.63 हे0 गैर वन भूमि के संबंध में सूचना प्राप्त होने के पश्चात ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित मानचित्र/प्राक्कलन भेजने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि से संबंधित सूचना निम्नवतः है :–

Sl. No.	Location details	Area (in Acres)	NOC	Remarks
1	2	3	4	5
1	Village - Kotari, Thana - Simaria District - Chatra	105.7	Yes	Mutation done for 45.01 acres, rest 60.69 acres due
2	Village - Hesla, Anchal - Chandva District - Latehar	163.22	Yes	Mutation done for 148.93 acres, rest 14.29 acres due
3	Village - homia Thana - Rank District - Garhwa	114.1	Yes	Mutation done for 112.10 acres, rest 2.0 acres due
4	Village - pipratnad, Anchal - Deori District - Giridih	84.24	Yes	Mutation done
5	Village - Baghakola District - Chatra	39.54	Yes	Mutation done
6	Village - Katang Thana - Balumath District - Latehar	101.99	Yes	Mutation applied
7	Village - Giridhatand	47.55	Yes	Mutation applied

	Thana - Pindrajore District - Bokaro			
8	Village - Navdiha Anchal - Chandankiyari District - Bokaro	52.92 12.73	Yes Yes	Mutation applied Mutation applied
9	Village - Sikrudih Anchal - Kharagdiha District - Giridih	118	Yes	Registration under process
	Total	**839.99**		

(ix) प्रस्तावित क्षेत्र के नजदीक अन्य खदानों की स्थिति को मानचित्र पर दर्शाते हुये नक्शा प्रस्ताव के प्लेट – VII के रूप में संलग्न है । प्रस्तावित क्षेत्र के समीपस्थ खदानों की स्थिति निम्नवतः है :–

पूर्व दिशा	भूषण स्टील के पक्ष में आवंटित चाटूबुरू खनन पट्टा	नई लीज /अपयोजन प्रस्ताव जांच अधीन
दक्षिण दिशा	मे0 रूंगटा माईन्स लि0, घाटकुड़ी खनन पट्ट ।	चालू लीज
	मे0 उड़ीसा मैगनीज लि0 ।	चालू लीज (नवीकृत)
	मे0 गुवा अयस्क खान	चालू लीज

(x) रेलवे साईडिंग, जो गुआ में प्रस्तावित है, से संबंधित टोपोशीट एवं ग्राम मानचित्र प्रस्ताव के प्लेट – X एवं XI पर दृष्टव्य है । दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता के पत्रांक AS/60C/999 दिनांक 04.03.2009 द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को गुआ स्टेशन पर निजी रेलवे साईडिंग की स्थापना की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है । रेलवे का पत्र इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है ।

(xi) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अपयोजन प्रस्ताव पूरे क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार किया गया है और उसमें सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है । राज्य में स्टील प्लांट की स्थापना के लिये प्रयोक्ता अभिकरण गंभीर है । पतरातू Blast Furnace सितम्बर 2011 तक प्रारम्भ होना संभावित है । इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 04.03.2010 को एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है ।

(xii) प्रस्तावित जेरेलदाबुरू लौह अयस्क खान का पर्यावरणीय स्वीकृति के क्रम में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक J.11015/1208/2007 – 1A.II (M), दिनांक 25.06.2008 से टी0ओ0आर0 निर्गत है एवं इनके अनुपालन प्रतिवेदन एक स्वतंत्र एजेन्सी के द्वारा ई0एम0पी0 का अध्ययन करा कर प्रतिवेदन समर्पित किये जाने की सूचना है । इस क्रम में लोक सुनवाई हो चुकी है एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण पर्षद से Consent to Establish का अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्राप्त है जो प्रस्ताव के अनु0 – XVIII के रूप में संलग्न है ।

(xiii) वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारंडा वन प्रमंडल, चाईबासा एवं वन संरक्षक, दक्षिणी अंचल, चाईबासा ने वन भूमि के अपयोजन की अनुशंसा कुछ शर्तो के साथ की है । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर ने अपयोजन के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या 11-28/04 FC दिनांक 10.03.2004 एवं 11-9/98 FC दिनांक 04.05.2001 का उल्लेख करते हुये सक्षम स्तर पर अपयोजन के संबंध में निर्णय लेने की अनुशंसा की है ।

वन भूमि के अपयोजन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश की कंडिका में निदेश दिये गये है। इस संबंध में दिशा निदेश की कंडिका 2.1 (VII) – 1 को निम्नवतः Quote किया जाता है :–

" **Diversion of forest land within Reserve Forest :- As per the State of Forest Report, 2001 published by Forest Survey of India, out of 76.84 million hectare o total forest area, roughly 55% is Reserve Forest area. These forests are considered as good forests within plenty of bio diversity and it is necessary too keep these forests intact. As such, any proposal for diversion in Reserve Forest should be very carefully examined and detailed justification after exhausting all alternatives for locating the project in this forest area should be given while forwarding the proposal.**"

प्रस्तावित क्षेत्र RF और PF दोनों तरह के वनों में स्थित है । FSI के Forest Cover Map के अनुसार इस क्षेत्र पर सघन एवं अत्यन्त सघन वन स्थापित हैं । यह क्षेत्रजैव विविधता से परिपूर्ण है, जिसकी पुष्टि गणना सूचि में अंकित से होती है, क्योंकि गणना सूची के अनुसार कुल इस क्षेत्र में 107 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष स्थित हैं । साथ ही प्रस्तावित क्षेत्र पर एवं इसके आस – पास के क्षेत्र पर continuous tree cover है ।

भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में सर्वश्री जिंदल स्टील एण्ड पावर लि0 के पक्ष जेरेलदाबुरू खनन परियोजना हेतु वन भूमि के अपयोजन की अनुशंसा इस स्तर से नहीं की जाती है ।

प्रस्ताव की चार प्रतियां अग्रतर कार्रवाही हेतु संलग्न की जाती है ।

अनु0 यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक 188 दिनांक 13.3.2010

प्रतिलिपिः– • क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/11/10

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रॉची ।